मोहद लतीफ बनाम भारत संघ और अन्य -

प्रमोद कोहली न्यायमूर्ति के समक्ष

मोहद लतीफ- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाता

1989 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 5729

20 नवम्बर, 2009

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली - आरएल 29 (डी) - याचिकाकर्ता को कुछ आरोपों से संबंधित सजा के साथ दंडित किया गया - दंड के निष्पादन के बाद प्रतिवादी ने वेतन वृद्धि रोकने की सजा देने का प्रस्ताव किया और आगे सेवा से हटाने की सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया - क्या अधिकारी सीआरपीएफ नियमों के आरआई 29के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अतिरिक्त दंड लगा सकते हैं। अनुच्छेद 20 के खंड 2 में स्पष्ट रूप से एक ही अपराध के लिए दो सजाओं को प्रतिबंधित किया गया है - यदि अधिकारियों ने सजा के पहले फैसले के कार्यान्वयन से पहले सजा में वृद्धि की होती तो इसे नियम 29 (डी) के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता था - दूसरी सजा लगाने की अनुमति नहीं है जो कि अत्यधिक सजा है जब याचिकाकर्ता पहले ही कारावास और अन्य संबंधित दंड काट चुका है - कार्यवाही शुरू करने में लगभग एक वर्ष की देरी के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। सजा बढ़ाने के लिए - प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है - याचिका की अनुमति दी गई, याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों का हकदार माना गया।

अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 20 का खंड 2 स्पष्ट रूप से एक ही अपराध के लिए दो सजाओं को प्रतिबंधित करता है। बेशक, याचिकाकर्ता को दो दंड दिए गए हैं, एक को वेतन और भत्ते और 'पैकड्रिल' को जब्त करने के साथ कारावास के लिए और दूसरा सेवा से हटाने के लिए। यदि अधिकारियों ने सजा के पहले आदेश के कार्यान्वयन से पहले सजा को बढ़ा दिया होता, तो इसे नियम 29 (डी) के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता था। लेकिन पहली सजा लागू और लागू होने के बाद,

दूसरी सजा देने की अनुमति नहीं थी, जो कि चरम सजा है जब याचिकाकर्ता पहले ही कारावास और अन्य संबंधित दंड से गुजर चुका था। आक्षेपित आदेश को रद्द करने का एक और कारण है। पहली सजा 4 जुलाई, 1984 को दी गई थी और उसी समय निष्पादित की गई थी। याचिकाकर्ता को पहला कारण बताओ नोटिस डेढ़ साल बाद और दूसरा कारण बताओ नोटिस ढाई साल बाद जारी किया गया। प्रतिवादियों द्वारा सजा बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू करने में इतनी लंबी देरी के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। यह उत्तरदाताओं की पूरी तरह से मनमानी, सनक और सनक को दर्शाता है। लागू आदेश किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। रिट याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता 4 मई, 1987 को सेवानिवृत्त होने वाला था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवाओं को जारी रखने का हकदार था। (Para 12)

एच. एस. ग्रेवाल, एडवोकेट

जगजीत सिंह, एडवोकेट, सीएम शर्मा, एडवोकेट।

<u>निर्णय</u>

प्रमोद कोहली जे (मौखिक):

(1) याचिकाकर्ता को अगस्त, 1975 में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में नामांकित किया गया था। गांधी नगर, गुजरात में तैनात रहने के दौरान उनके विरुद्ध कतिपय आरोपों के संबंध में विभागीय जांच की गई थी और उन्हें 4 जुलाई, 1984 से 15 जुलाई, 1984 तक क्वार्टर-गार्ड में 12 दिनों के कारावास की सजा सुनाई गई थी और उक्त अवधि के लिए सभी वेतन और भत्ते जब्त कर लिए गए थे। उन्हें पैकड्रिल की सजा भी सुनाई गई थी। इन सजाओं को जुलाई में ही तामील कर दिया गया था।

(2) उपरोक्त दंड के बाद याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा 27 जनवरी 1986 को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें 4जुलाई 1984 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को पहले से दी गई सजा के अलावा भविष्य के बिना उसके वेतन के समय मान में एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने की सजा देने का प्रस्ताव था। याचिकाकर्ता को सजा में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ कारण बताने के लिए कहा गया था और प्रस्तावित दंड के खिलाफ एक अभ्यावेदन देने का अवसर भी प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब पेश किया। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 3 ने 1 दिसंबर, 1986 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें सजा को और बढ़ाने का प्रस्ताव था और याचिकाकर्ता पर सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने का

प्रस्ताव था। याचिकाकर्ता को फिर से अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता ने फिर से अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति अनुलग्नक पी-4 के रूप में अभिलेख में रखी गई है।

(3) प्रतिवादी संख्या 3 ने 4 मई, 1987 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश दिया, जबकि उपरोक्त आदेश के तहत सजा सुनाई। प्रतिवादी संख्या 3 ने कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप संख्या 2 साबित हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 ने पाया है कि याचिकाकर्ता प्रस्तावित कारण बताओ नोटिस के खिलाफ कोई ठोस कारण नहीं दे सका और तदनुसार सेवा से हटाने की सजा का आदेश दिया गया है।

(4) याचिकाकर्ता ने जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में उसे दी गई सजा को चुनौती दी, वह जम्मू और कश्मीर राज्य का निवासी है । जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका की एक प्रति अनुलग्नक पी -6 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है। तथापि, उक्त उच्च न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका को विचार योग्य नहीं मानते हुए निपटा दिया गया था। उक्त उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को 29 मार्च 1989 के आदेश के तहत सक्षम अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने महानिरीक्षक के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। सी.आर.पी.एफ. अपील ज्ञापन की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है अनुलग्नक P8

(5) याचिकाकर्ता ने अब वर्तमान याचिका दायर कर सेवा से हटाए जाने के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि उसे पहले ही कारावास की सजा सुनाई गई थी और एक वेतन वृद्धि को जब्त करने के साथ-साथ पैकड्रिल भी दी गई थी। जब उक्त दंड; याचिकाकर्ता को दिया गया है और सजा अमल में ला दी गई थी तो प्रतिवादी याचिकाकर्ता पर सजा बढ़ाने या कोई अन्य सजा लगाने के हकदार नहीं थे।

(6) प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष दायर अपने जवाब में सशस्त्र बलों-केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के नियम 29 (डी) के तहत कथित रूप से उपयोग की गई शक्ति के आधार पर आक्षेपित आदेश (अनुबंध पी -5) का बचाव किया है। यह तर्क दिया गया है कि समूह केंद्र सी.आर.पी.एफ., गांधी नगर, गुजरात के निरीक्षण के समय, महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. ने अपने निरीक्षण नोट में पाया कि याचिकाकर्ता

को दी गई सजा बहुत उदार थी और मामले की समीक्षा उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. द्वारा करने का आदेश दिया और तदनुसार उक्त नियमों के नियम 29 (डी) के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने गांधी नगर में कमांडेंट, ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ द्वारा याचिकाकर्ता को पहले से दी गई सजा के अलावा एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकने की मांग की। यह आगे कहा गया है कि चूंकि उपरोक्त सजा भी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं पाई गई थी, इसलिए 1 दिसंबर, 1986 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को हटाने की सजा दी जाती है, जो प्रस्तावित सजा के खिलाफ एक भी ठोस कारण नहीं दे सका।

(7) सुनवाई के दौरान केवल एक ही सवाल उठाया गया और जिस पर बहस की गई, वह यह है कि क्या अधिकारी सीआरपीएफ नियमों के नियम 29 के तहत समीक्षा की कथित शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा में वृद्धि के माध्यम से सजा दे सकते हैं, जब सजा दी गई थी।

(8) बेशक, कमांडेंट सजा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी था। जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कमांडेंट द्वारा जांच के समापन पर याचिकाकर्ता को क्वार्टर-गार्ड में 12 दिनों के कारावास की सजा के साथ-साथ क्वार्टर-गार्ड की अवधि के लिए वेतन और भत्ते को जब्त करने के साथ-साथ 'पैकड्रिल' की सजा भी सुनाई गई थी। यह सजा 4 जुलाई, 1984 के आदेश के तहत लगाई गई थी और उसी दिन सजा दी गई थी। प्रतिवादियों ने 27 जनवरी, 1986 को सजा बढ़ाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया यानी एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने की सजा देने का प्रस्ताव किया। तथापि, यह अतिरिक्त दंड कभी नहीं लगाया गया और इसके बाद लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद दिनांक 1 दिसम्बर, 1986 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ताकि उसमें प्रस्तावित सजा को और बढ़ाया जा सके अर्थात सेवा से हटाया जा सके। अपील और संशोधन को नियंत्रित करने वाले नियम अर्थात नियम 28 और 29 के सार नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं। :—

"28 अपील-(क) प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी या उसके नीचे के किसी अन्य रैंक का प्रत्येक अधिकारी, जिसमें एक नामांकित अनुयायी भी शामिल है, जिसके विरुद्ध नियम 27 में तालिका के क्रम संख्या

I से 4 के अधीन या धारा 13 के खंड (e) के खंड (d) के अधीन आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश के विरुद्ध महानिरीक्षक के समक्ष अपील करने का हकदार है, यदि मूल आदेश उप महानिरीक्षक द्वारा और उप महानिरीक्षक को पारित किया गया था यदि कमांडेंट द्वारा संगठनात्मक आदेश पारित किया गया था।

(e) एक अपील जो मूल आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर दायर नहीं की जाती है, आदेश या रिकॉर्ड की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय को छोड़कर, सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

29. संशोधन- (क) बल का कोई सदस्य जिसकी अपील किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है, वह अगले उच्च्य प्राधिकारी के पास संशोधन के लिए याचिका दायर कर सकता है। संशोधन की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी भौतिक अनियमितता के परिणामस्वरूप, अन्याय हुआ हो या न्याय का दुरुपयोग हुआ हो या नए साक्ष्य का खुलासा किया गया हो।

(ख) नियम 28 के उप-नियमों (सी) से (जी) के तहत अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया संशोधन के लिए याचिका पर उत्परिवर्तन लागू करेगी।

(ग) एक अपीलीय प्राधिकारी पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पारित करते समय अपने विवेकानुसार सजा में वृद्धि कर सकता है:

बशर्ते कि सजा बढ़ाने से पहले अभियुक्त को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसकी सजा क्यों न बढ़ाई जाए:

परन्तु सजा को बढ़ाने वाले आदेश को अपील के प्रयोजन र्‍थ मूल आदेश के रूप में माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब सरकार द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया हो, उस स्थिति में उप महानिरीक्षक द्वारा पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध आगे कोई अपील नहीं की जाएगी।

(घ) महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक किसी दंड के अभिलेखों की मांग कर सकते हैं और ऐसे आदेश पारित करने से पहले उसकी पुष्टि, वृद्धि, संशोधन या निरस्तीकरण कर सकते हैं या आगे की जांच कर सकते हैं या निर्देशित कर सकते हैं:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जिसमें सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है, आरोपी को मौखिक रूप से या लिखित रूप में कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसकी सजा क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

(9) सी.आर.पी.एफ. के एक कार्मिक जिसे सजा दी जाती है, उसे सी.आर.पी.एफ. नियमों के नियम 28 के तहत अपील करने का अधिकार है। केवल अधीनस्थ अधिकारी या नामांकित अधिकारी, जिसे नियम 27 के संदर्भ में सजा दी जाती है, इंस्पेक्टर जनरल के पास अपील करने का हकदार है, अगर मूल आदेश उप महानिरीक्षक द्वारा पारित किया गया था और मूल आदेश कमांडेंट द्वारा पारित किया गया था। वर्तमान मामले में सजा कमांडेंट द्वारा दी गई थी और इस प्रकार, उप महानिरीक्षक अपीलीय प्राधिकारी थे। उपर्युक्त नियमों के नियम 29 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। नियम 29 (ए) के तहत, बल का एक सदस्य जिसकी अपील खारिज कर दी गई है, वह अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को याचिका या संशोधन को प्राथमिकता देने का हकदार है। तथापि, उपर्युक्त नियमों के खंड (घ) के अंतर्गत महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक को यह शक्ति भी प्रदान की गई है कि वे किसी दंड को देने के रिकॉर्ड मांग सकते हैं और ऐसा कोई आदेश पारित करने से पहले उसकी पुष्टि, वृद्धि, संशोधन या निरस्तीकरण कर सकते हैं या आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं।

(10) जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह केवल अपराधी अधिकारी है जिसे सजा दी गई है, यदि सशस्त्र बल-केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की धारा 13 के नियम 27 (डी) (ई) की तालिका के सीरियल नंबर 1 से 4 तक इंगित कोई भी सजा ऐसे किसी अधिकारी के खिलाफ पारित की जाती है। याचिकाकर्ता को दी गई सजा अधिनियम की धारा 13 (डी) के तहत आती है। याचिकाकर्ता ने किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी। नियम 29-ए के तहत, एक अधिकारी, जिसकी अपील खारिज कर दी जाती है, को अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को संशोधन के लिए याचिका पसंद करने का अधिकार है। हालांकि, माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने सजा के खिलाफ किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी। नियम 29 का खंड (डी) महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे दिए गए किसी भी दंड के रिकॉर्ड को स्वत: मांग सकते हैं और आगे की जांच के लिए पुष्टि करने, बढ़ाने, संशोधित करने, निरस्त करने या आदेश देने के लिए कोई आदेश पारित कर सकते हैं। खंड (घ) के परंतुक के तहत, यदि सक्षम प्राधिकारी सजा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है, तो अभियुक्त को प्रस्तावित सजा के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जाना है। यह

कानून का यह प्रावधान है जिसे उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता के मामले में सजा बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कमांडेंट द्वारा मूल सजा दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। दिनांक 27 जनवरी, 1986 के उनके पहले कारण बताओ नोटिस के तहत पहले से दी गई सजा के अतिरिक्त एक वाषक वेतन वृद्धि को जब्त करने की अतिरिक्त सजा का प्रस्ताव किया गया था। इस कारण बताओ नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगभग एक वर्ष की समाप्ति के बाद दिनांक 1 दिसम्बर, 1986 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें सेवा से हटाने की सजा देने का प्रस्ताव किया गया। जवाब प्राप्त होने के बाद, सेवा से हटाने की सजा 4 मई 1987 के आक्षेपित आदेश के तहत दी गई थी।

(11) नियम 29.1 के उपखंड (घ) को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक के पास किसी भी दंड के अभिलेख मांगने और उससे निपटने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग स्वत: भी किया जा सकता है। सजा देने की शक्ति का प्रयोग करने पर एकमात्र प्रतिबंध एक कारण बताओ नोटिस जारी करना है ताकि दोषी अधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सके, जहां प्राधिकरण सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। वर्तमान मामले में प्राधिकरण ने सजा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। प्रतिवादियों का यह विशिष्ट मामला है कि 1 नवंबर, 1984 के महीने के दौरान महानिरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान ही महानिरीक्षक ने देखा कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा बहुत हल्की थी और उन्होंने निवारक सजा देने का फैसला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि महानिरीक्षक ने उप महानिरीक्षक को कठोर सजा देने के लिए प्रेरित किया। उप महानिरीक्षक ने अपने विवेक से नियम 29 (घ) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 जनवरी, 1986 (अनुलग्नक पी-1) को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने की अतिरिक्त सजा देने का प्रस्ताव किया गया था, जिस प्रस्ताव पर कभी अमल नहीं किया गया था। लगभग एक वर्ष की समाप्ति के बाद उसी प्राधिकरण द्वारा एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया था। दोनों कारण बताओ नोटिस में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा बहुत उदार है और अपराध के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया और दलील दी कि उसे पहले ही सजा दी जा चुकी है और सजा दी जा चुकी है और इस प्रकार दूसरी सजा स्वीकार्य नहीं है और यह याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान

के अनुच्छेद 20 के तहत गारंटीकृत है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं किया है और जवाब को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार यह है कि कोई ठोस कारण नहीं है। वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 3 ऊपर उल्लिखित गैर-बोलने वाली, अकारण अभिव्यक्ति के साथ उत्तर को अस्वीकार करने के बजाय वृद्धि के कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य था। यह प्राधिकारी का कर्तव्य था कि वह सजा बढ़ाने के लिए वैध कारणों को दर्ज करे। लागू किए गए आदेश में इस तरह के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है, न कि वृद्धि को सही ठहराने वाला कानूनी, प्रशंसनीय और वैध कारण है। यद्यपि नियम 29 (घ) के अनुसार महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक द्वारा सजा में स्वत: संशोधन करने की शक्ति पर विचार किया जाना चाहिए,

तथापि, इस तरह की शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। दी गई सजा को निष्पादित करने से पहले ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान मामले में कमांडेंट, जो सक्षम प्राधिकारी थे, द्वारा दी गई सजा को निष्पादित किया गया था और याचिकाकर्ता ने कारावास की सजा काट ली थी और वेतन और भत्तों को जब्त कर लिया था और इसके बाद, आगे जुर्माना लगाने का निर्णय जुर्माना में वृद्धि नहीं है, बल्कि एक और जुर्माना है। दिनांक 27 जनवरी, 1986 के पहले कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से अतिरिक्त दंड का उल्लेख किया गया है। वृद्धि और अतिरिक्त सजा के बीच एक अंतर खींचा जाना चाहिए। सजा में वृद्धि के मामले में, मूल सजा को प्रतिस्थापित किया जाना है और एक कठोर सजा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है, जबकि दूसरी सजा देने का प्रस्ताव, जहां एक सजा पहले से ही दी गई है और निष्पादित की गई है, दो दंड लगाने के बराबर है और इस प्रकार दोहरे खतरे की शरारत के भीतर आता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 दोषियों को भी कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। उक्त लेख को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:—

20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण-

(1) किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित किए गए कृत्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और न ही अपराध के समय लागू कानून के तहत लगाए गए दंड से अधिक दंड के अधीन नहीं किया जाएगा।

किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। " .

(12) अनुच्छेद 20 का खंड 2 स्पष्ट रूप से एक ही अपराध के लिए दो सजाओं को प्रतिबंधित करता है। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि याचिकाकर्ता को दो दंड दिए गए हैं, एक वेतन और भत्ते को जब्त करने के साथ-साथ कारावास के लिए और 'पैकड्रिल' और दूसरा सेवा से हटाने के लिए। यदि अधिकारियों ने सजा के पहले फैसले को लागू करने से पहले सजा बढ़ा दी होती, तो इसे नियम 29 (डी) के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता था। लेकिन पहली सजा लागू होने और लागू होने के बाद, दूसरी सजा लगाने की अनुमति नहीं थी, जो कि चरम सजा है जब याचिकाकर्ता पहले ही कारावास और अन्य संबंधित सजा काट चुका था। आक्षेपित आदेश को रद्द करने का एक और कारण है। पहली सजा 4 जुलाई, 1984 को दी गई थी और उसी समय निष्पादित की गई थी। पहला कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को 1 साल बाद और दूसरा कारण बताओ नोटिस करीब वर्षों बाद जारी किया गया। प्रतिवादियों द्वारा सजा बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू करने में इतनी लंबी देरी के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। यह उत्तरदाताओं की पूरी तरह से मनमानी, सनक और सनक को दर्शाता है। लागू आदेश किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। रिट याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता 4 मई, 1987 को सेवानिवृत्त होने वाला था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक जारी रखने का हकदार था।

(13) तदनुसार इस याचिका को स्वीकार किया जाता है। लागू आदेश को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा और चूंकि वह पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, इसलिए वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक वेतन और अन्य सभी लाभों और उसके बाद पेंशन लाभों का हकदार होगा।.

मोहद लतीफ बनाम भारत संघ और अन्य -

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी